



राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण



प्लॉट न० ए 1, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून -248013
ई-मेल: ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक: रा०स्वा०प्रा०/हॉस्पिटल मैनेजमेंट/HOSP5P116668/486

दिनांक : ०८ जुलाई 2022

प्रेषित,

श्री शेख मोहम्मद आसिफ,
संचालक,
फोटोन हॉस्पिटल,
45 बल्लीवाला चौक,
देहरादून।

विषय: सूचीबद्धता हेतु किये गये अनुबन्ध के Section 16 Para 2 अनुसार 01 माह का नोटिस प्रेषित किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि फोटोन हॉस्पिटल, 45 बल्लीवाला चौक, देहरादून द्वारा दिनांक 19 जून 2020 को HEM Portal के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया गया था एवं दिनांक 23 जनवरी 2021 को जनपद स्तरीय इम्पैनलमेंट समिति की संस्तुति उपरान्त राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा दिनांक 01 मार्च 2021 को योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीकृत किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत फोटोन हॉस्पिटल, 45 बल्लीवाला चौक, देहरादून के द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के उपरान्त योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता प्रदान की गई थी।

2. यह कि हस्ताक्षरित अनुबन्ध Section 16 (2) Termination के अनुसार

This Agreement may be terminated by either party by giving one month's prior written notice by means of registered letter or a letter delivered at the office and duly acknowledged by the other, provided that this Agreement shall remain effective thereafter with respect to all rights and obligations incurred or committed by the parties hereto prior to such termination.

3. उक्त विषय पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि हॉस्पिटल तथा SHA के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के Section 16, Clause 2 के अनुसार SHA द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2022 से अनुबन्ध को समाप्त किया जाता है और हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त की जाती है। तदनुसार दिनांक 08 अगस्त 2022 को पोर्टल से चिकित्सालय की Login ID deactivate हो जायेगी।

भवदीय,

(अतुल जोशी)

प्रभारी निदेशक-हॉस्पिटल मैनेजमेंट